**अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2022 (GCMS 2022/69)(आईटीआई पोर्टल नं. 212811915669508) अशोक कुमार पुत्र मानकचंद, वार्ड नं. 30 (नया), तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर <u>बनाम</u> उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**<u>18.05.2022</u>**

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** अशोक कुमार के प्रार्थना पत्र पर नक्षत्र सिंह उपस्थित हुआ और कथन किया था कि अशोक कुमार ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.02.2022 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उनके द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

**मैनें अपीलार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. एलडीसी अजय कुमार जिस पोस्ट पर नियुक्त है, उसकी प्रमाणित प्रति।
2. एलडीसी अजय कुमार, एसडीएम ऑफिस में कब से कार्य करता है। एक कर्मचारी एक ही जगह पर कितने समय तक रहा सकता हैं
3. एसडीएम विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी के पद की सूचना, सूचना पट्ट पर जानकारी लिखत में देवें।
4. अजय बाबू के पास कुल कितने विभाग है, सूचना पट्ट पर लिखत में जानकारी दी जाये।
5. एसडीएम विभाग में कर्मचारियों के द्वारा के लिए (नकल) किये गये कामों की नकल जिस रजिस्टर में दर्ज की जाती है उसकी प्रमाणित
6. नकल लेने की गाईड लाईन की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र दिनांक 29.04.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है:

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | एलडीसी अजय कुमार किस पोस्ट पर नियुक्त है। | एलडीसी पद पर नियुक्त है। |
| 2 | अजय कुमार एसडीएम ऑफिस में कब से कार्य करता है। एक कर्मचारी एक जगह पर कितने टाईम तक रह सकता है। | प्रश्नोत्तर रूप से देय नहीं है। |
| 3 | एसडीएम विभाग में कर्मचारी व अधिकारी के पद की सूचना | वांछित सूचना स्पष्ट न होने से देय नहीं |
| 4 | अजय बाबू के पास कुल कितने विभाग है। | प्रश्नोत्तर रूप में देय नहीं है। |
| 5 | द्वारा उपभोक्ता के लिए (नकल) कामों की नगदी जिस रजिस्टर में दर्ज की जाती है, उसकी नकल | स्पष्ट नहीं है। |
| 6 | नकल लेने की गाईड लाईन | निर्धारित शुल्क व आवेदन देकर |

उपरोक्त सूचनाएं जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है, जो आरटीआई की धारा 2(च) व 7(9) के तहत देय नहीं है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकड़ो संबधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:37 IST
Reason: SelfAttested

sd/-
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

**उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा** अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 की सूचना उक्तानुसार दी जा चुकी है बिन्दु संख्या 3 व 5 अस्पष्ट होना अंकित किया है एवं बिन्दु संया 2 व 4 प्रश्नात्मक है एवं बिन्दु संख्या 6 शुल्क जमा कर प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी बिन्दु संख्या 3 व 5 की सूचनाओं हेतु स्पष्ट रूप से आवेदन करे तो उसे नियमानुसार देय सूचनाएं उपलब्ध करा दी जावे। बिन्दु संख्या 6 के सम्बन्ध में अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आदेशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या 6 हेतु निर्धारित शुल्क की राशि से अपीलार्थी को अवगत करवा देवें और राशि जमा कराने पर उसे नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जावे।

**अतः उक्त विवेचन अनुसार** अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(रुक्मणि रियार सिहाग)**
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:27:37 IST
Reason: SelfAttested